न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : बलदेवाराम धोजक, RAS

अपील संख्या 92/2022

1 श्रीमती तीजू पत्नी स्व. श्री हरीशचन्द्र पुत्री श्री भींवाराम उम्र 62 साल जाति जाट निवासी कैमरी की ढाणी पटवार हल्का खिरोड़ तहसील नवलगढ़ हाल आबाद बिरोल तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनू राज.।
2 मूलचन्द उम्र 40 साल पुत्र स्व. श्री मनसुख पौत्र श्री भींवाराम जाति जाट निवासी कैमरी की ढाणी पटवार हल्का खिरोड़ तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनू राज.।
3 श्रीमती चावल देवी पत्नी स्व. श्री मनसुख जाति जाट निवासी कैमरी की ढाणी पटवार हल्का खिरोड़ तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनू राज.।

अपीलांट

बनाम

1 शिशपाल उम्र 57 साल जाति जाट निवासी कैमरी की ढाणी पटवार हल्का खिरोड़ तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनू राज.।
2 महावीर उम्र 50 साल जाति जाट निवासी कैमरी की ढाणी पटवार हल्का खिरोड़ तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनू राज.। (महावीर की मृत्यु दिनांक 06.02.2022 को हुई है जबकि फैसला उसके बिना उसके कायम मुकाम रिकार्ड पर लिये दिनांक 23.05.2022 को किया है जो एबिनिसियो वोईड है।)
3 चन्द्री देवी पत्नी श्री नोपाराम पुत्री श्री भींवाराम निवासी कैमरी की ढाणी पटवार हल्का खिरोड़ तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनू राज.। हाल आबाद जोगियो का बास तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर राज.।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनू)

उप-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी * सीकर *

4 कमला देवी पत्नी श्री दानाराम पुत्री श्री भींवाराम उम्र 59 साल निवासी कैमरी की ढाणी पटवार हल्का खिरोड़ तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनू राज.। हाल आबाद ओला की ढाणी तन बेरी तहसील व जिला सीकर राज.।
5 उप पंजीयन तहसील नवलगढ़ व लैण्ड होल्डर तहसीलदार नवलगढ़।
6 जिला कलेक्टर जिला झुन्झुनू राज.।
7 मनीराम पुत्र पोकरमल जाति निवासी बेरी तहसील व जिला सीकर राज.।
8 विजेन्द्र पुत्र श्री पोकरमल जाति जाट निवासी बेरी तहसील व जिला सीकर राज.।

रेस्पोडेंट

अपील विरूद्ध निर्णय व डिक्री दिनांक 23.05.2022
मुकदमा नम्बर 120/2012 उनवानी श्रीमती तीजू देवी
बनाम शिशपाल वगै. सहायक कलेक्टर(फा.ट्रे.) नवलगढ़।

उपस्थिति :

1. श्री राजेश पुनियां, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री आबिद एम खान, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

—निर्णय—

दिनांकः— 13.8.24

उप-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

यह अपील विचारण न्यायालय सहाकय कलेक्टर नवलगढ़ द्वारा मुकदमा नम्बर 120/2012 में पारित निर्णय दिनांक 23.05.2022के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में वादी अपीलान्टस द्वारा एक वाद घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा बाबत भूमि खसरा नम्बर नये 244, 247, 248, वाके कैमरी की ढाणी तन खिरोड़ का पेश किया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से वाद वादी डिक्री कर दिया। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने त्तर्क दिया कि रेस्पोडेन्ट नम्बर 2 महावीर का देहान्त दिनांक 06.02.2022 को हो गया लेकिन विचारण न्यायालय ने न तो उसके कायम मुकाम रिकार्ड पर लिये ना ही कायम मुकाम का प्रार्थना पत्र लगा और न ही न्यायालय ने अपने फैसले में कहीं पर भी यह दर्ज नहीं किया है कि महावीर जो भींवाराम का पुत्र है उसका हिस्सा कहां गया, कौनसे वादी व प्रतिवादी में किस प्रकार से कैसे समाहित हुआ है बिना किसी प्रकार की विवेचना किये और मरे हुये व्यक्ति के विरूद्ध निर्णय एबिनिसियो वोईड है। अपीलान्ट वादीगण की सिद्धि यह थी कि स्व. भींवाराम की खातेदारी की भूमि 1/6 हिस्सा तीजू देवी का है, 1/6 हिस्सा मूलचन्द व चावली देवी का है जो स्व. मंसुख के वारिस है 1/6 हिस्सा शिशपाल का है 1/6 हिस्सा महावीर का है 1/6 हिस्सा चन्द्री देवी व 1/6 हिस्सा कमली देवी जो उसकी पुत्रिया है उनका है लेकिन विचारण न्यायालय ने वाद–पत्र के बाहर जाकर अपीलान्ट वादी नम्बर 1 को 1/5 हिस्से का और अपीलान्ट वादी 2 व 3 को 1/5 हिस्से का, प्रतिवादी नम्बर 1 को 1/5 हिस्से का, प्रतिवादी नम्बर 3 व 4 को 2/5 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित कर दिया, जबकि इस प्रकार की कोई सिद्धि न तो अपीलान्ट द्वारा चाही गई थी ना ही रेस्पोडेन्ट द्वारा चाही गई थी विचारण न्यायालय ने वाद–पत्र के बाहर जाकर बिना क्षेत्राधिकार के और बिना सिद्धि

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर

चाहे दावा डिक्री किया है। मृतक महावीर ने मूलचन्द के पुत्र मुकेश को विधि अनुसार गोद ले रखा था और वह उसके हिस्से की जमीन को करीबन 20 साल से काश्त करता है पहले महावीर अपीलान्ट के पास रहता था क्योंकि वह अविवाहित था और उसका दत्तक पुत्र व अपीलान्ट साथ साथ रहते थे एक बाद महावीर नाराज भी हो गया था जो शिशपाल के बहकावे में आकर नाराज हो गया था महावीर का तमाम अन्तिम संस्कार उसके दत्तक पुत्र मुकेश ने ही किया था और वो ही उसकी सम्पत्ति का विधिक उत्तराधिकारी है विचारण न्यायालय को महावीर के कायम मुकाम बनाकर उसकी जगह मुकेश को पक्षकार बनाकर मुकेश को 1/6 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित करना चाहिये था जो विचारण न्यायालय ने नहीं करके विधि विरूद्ध कार्यवाही की है इसलिए विचारण न्यायालय का निर्णय निरस्त होने लायक है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत नहीं है। अपील स्वीकार की जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने तर्क दिया कि वादग्रस्त भूमि वाके ग्राम कैमरी की ढाणी तन खिरोड़ के पुराना खसरा नम्बर 431 रकबा 7 बीघा 2 बिस्वा, खसरा नम्बर 445 रकबा 4 बीघा 7 बिस्वा, जिसके नये खसरा नम्बर 244 रकबा 1.0400 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 247 रकबा 0.0400 हैक्टेयर तथा खसरा नम्बर 248 रकबा 1.76 हैक्टेयर बने है। उक्त भूमि भींवाराम के दर्ज खातेदारी की रही है। भींवाराम फौत हो चुका है। वाद–पत्र के पैरा नम्बर 01 में दर्ज वंशावली अनुसार वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 भींवाराम के विधिक वारिस है जो इनके उत्तराधिकारी है। प्रतिवादी नम्बर 02 महावीर नाऔलाद फौत हो गया। इस प्रकार भींवाराम के फौत होने पर इनके वारिस वादीगण संख्या 01 को हिस्सा 1/5 तथा वादी संख्या 2 व 3 को हिस्सा 1/5 व प्रतिवादी संख्या 01, 03, व 04 को हिस्सा प्रत्येक को 1/5–1/5 का खातेदार घोषित किया जाना उचित है। इसी अनुसार वकील उभपक्ष द्वारा वाद वादी स्वीकार करने की सहमति प्रदान की गई है। इसी सहमति के आधार पर वाद वादी स्वीकार कर विचारण न्यायालय ने कोई विधिक त्रुटि

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

नहीं की है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अपील सारहीन है। खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि रेस्पोडेन्ट नम्बर 2 महावीर का देहान्त दिनांक 06.02.2022 को हो गया लेकिन विचारण न्यायालय ने न तो उसके कायम मुकाम रिकार्ड पर लिये ना ही कायम मुकाम का प्रार्थना पत्र लगा और न ही न्यायालय ने अपने फैसले में कहीं पर भी यह दर्ज नहीं किया है कि महावीर जो भींवाराम का पुत्र है उसका हिस्सा कहां गया, कौनसे वादी व प्रतिवादी में किस प्रकार से कैसे समाहित हुआ है बिना किसी प्रकार की विवेचना किये और मरे हुये व्यक्ति के विरूद्ध निर्णय एबिनिसियो वोईड है। मृत व्यक्ति के विरूद्ध पारित निर्णय नलिटी है। विचारण न्यायालय में आदेशिका पर वादी के अधिवक्ता ने सहमति व्यक्त की है। वादीगण के सहमति के हस्ताक्षर नहीं है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नहीं माना जा सकता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय अपास्त किया जात है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय का इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि रेस्पोडेन्ट नम्बर 2 के विधिक वारिसान को रिकार्ड पर लेकर, तनकीकायम कर, साक्ष्य प्राप्त कर बाद सुनवाई प्रकरण में गुणावगुण पर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें। उभयपक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 30.08.2024 को उपस्थिति देवें।

निर्णय आज दिनांक 13.8.24 को सरे इजलास सुनाया गया।

(बलदेवाराम धोजक)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
कैम्प झुन्झुनूं